

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] No. 296] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 2007/आषाढ़ 9, 1929 NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 2007/ASADHA 9, 1929

वित्तं मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

( मुद्रा प्रबंध अनुभाग )

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसुचना

मुम्बई, 7 जून, 2007

सं. फेमा. 154/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 455(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिन्यूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

- 1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएंगे।
  - (ii) ये नीचे विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) से लागू समझे जाएंगे।

- 2. विनियमावली में संशोधन :— विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (इसके बाद इसे मुल विनियम कहा जाएगा) में,
- (1) अनुसूची में, पैराग्राफ (1) के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
  - "(1) भारत में निवासी एक व्यक्ति उप पैराग्राफ (1अ) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अर्जनों का 100 प्रतिशत भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी खाता में जमा कर सकता है।"

इसे नवम्बर 30, 2006 से लागू समझा जाएगा ।

- (2) विनियम 7 में, उप विनियम 4अ में परंतुक में, खंड (ख) में
  - (क) उप-खंड (i) में अंक "2" के लिए अंक "10" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - (ख) उप-खंड (ii) में अंक "1" के लिए अंक "5" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

इसे अप्रैल 21, मई, 2006 से लागू समझा जाएगा ।

- (3) विनियम 7 में, उप विनियम 4अ में, परंतुक में, खंड (ख) में उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :
  - "(i) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय कंपनी के औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा पण्यावर्त का 15 प्रतिशत अथवा निवल मालियत का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जहां शाखा अथवा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रेषण किया जाता है।

और

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे औसत बिक्री/आय अथवा पण्यावर्त का 10 प्रतिशत, जहां शाखा अथवा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए प्रेषण किया जाता है।"

इसे दिसम्बर 4, 2006 से लागू समझा जाएगा।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

## पाद टिप्पणी :

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमावली को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) मुल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा. का. नि. 393(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा सा.का.नि. संख्या द्वारा संशोधन किए गए हैं : सा.का.नि. 675(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2000 सा.का.नि. 89(अ) दिनांक 12 फरवरी, 2001 सा.का.नि. 103(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2001 सा.का.नि. 200(अ) दिनांक 21 मार्च, 2001 सा.का.नि. 5(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2002 सा.का.नि. 261(अ) दिनांक 9 अप्रैल, 2002 सा.का.नि. 465(अ) दिनांक 2 जुलाई, 2002 सा.का.नि. 474(अ) दिनांक 8 जुलाई, 2002 सा.का.नि. 755(अ) दिनांक 8 नवम्बर, 2002 सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 8 नवम्बर, 2002 सा.का.नि. 224(अ) दिनांक 18 मार्च, 2003 सा.का.नि. 398(अ) दिनांक 14 मई, 2003 सा.का.नि. 452(अ) दिनांक 3 जून, 2003 सा.का.नि. 453(अ) दिनांक 4 जून, 2003 सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 7 जनवरी, 2004 सा.का.नि. 13(अ) दिनांक 7 जनवरी, 2004 सा.का.नि. 209(अ) दिनांक 23 मार्च, 2004

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(EXCHANGE MANAGEMENT SECTION)

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

# NOTIFICATION

Mumbai, the 7th June, 2007

No. FEMA. 154/2007-RB

# Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (c) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), as amended from time to time, namely:

- 1. Short Title and Commencement: (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2007.
  - (ii) They shall be deemed to have come into force from the date(s) specified hereunder.
- 2. Amendment of the Regulations:—In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India), Regulations, 2000 (hereinafter called 'the principal regulations'),
- (1) in the Schedule, for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely:
  - "(1) A person resident in India may credit to the EEFC Account with an Authorised Dealer in India 100 per cent of the foreign exchange earnings as specified in sub-paragraph (1A)."

This shall be deemed to have come into force with effect from 30th November, 2006.

- (2) in regulation 7, in sub-regulation 4A the proviso, in clause (b)
  - (a) in sub-clause (i) for the figure "2" the figure "10" shall be substituted.
  - (b) in sub-clause (ii) for the figure "1" the figure "5" shall be substituted.

This shall be deemed to have come into force with effect from 21st April, 2006.

- (3) in regulation 7, in sub-regulation 4A, in the proviso, in clause (b), sub-clause (i) and subclause (ii)—shall be substituted by the following, namely—
  - "(i) 15 per cent of the average annual sales/ income or turnover of the Indian entity during the last two financial years or up to 25 per cent of the net worth, whichever is higher, where the remittances are made to meet initial expenses of the branch or office or representative.

#### and

(ii) 10 per cent of such average annual sales/ income or turnover during the last financial years where the remittances are made to meet recurring expenses of the branch or office or representative;"

This shall be deemed to have come into force with effect from 4th December, 2006.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

# SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager Footnote:

i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 393 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide Nos.—
  - G.S.R. 675 (E) dated August 25, 2000;
  - G.S.R. 89 (E) dated February 12, 2001;
  - G.S.R. 103 (E) dated February 19, 2001;
  - G.S.R. 200 (E) dated March 21, 2001;
  - G.S.R. 5 (E) cated January 2, 2002;
  - G.S.R. 261 (E) dated April 9, 2002;
  - G.S.R. 465 (E) dated July 2, 2002;
  - G.S.R. 474 (E) dated July 8, 2002;
  - G.S.R. 755 (E) dated November 8, 2002;
  - G.S.R. 756 (E) dated November 8, 2002;
  - G.S.R. 224 (E) dated March 18, 2003;
  - G.S.R. 398 (E) dated May 14, 2003;
  - G.S.R. 452 (E) dated June 3, 2003;
  - G.S.R. 453 (E) dated June 4, 2003;
  - G.S.R. 11 (E) dated January 7, 2004;
  - G.S.R. 13 (E) dated January 7, 2004; and
  - G.S.R. 209 (E) dated March 23, 2004.

# अधिसूचना

मुम्बई, 7 जून, 2007

# सं. फेमा 155/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 456(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ज), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 7/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
  - (ii) ये दिसंबर 4, 2006 से लागू समझे जाएंगे।
- 2. विनियमावली में संशोधन :—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :
  - "(3) समुद्र पार में कार्यालय रखने वाली भारत में निगमित कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अपने कारोबार और अपने स्टाफ के आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।"

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

### पाद टिप्पणी :

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा. का. नि. 390 (अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् अक्तूबर 29, 2003 के सं. सा. का. नि. 848 (अ) द्वारा संशोधित किए गए।

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th June, 2007

No. FEMA.155/2007-RB

# Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) of Section 6 and subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 7/2000-RB dated 3rd May, 2000), as amended from time to time, namely:

- 1. Short Title and Commencement:—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) (Amendment) Regulations, 2007.
  - (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from December 4, 2006.
- 2. Amendment of the Regulations:—In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India), Regulations, 2000 in Regulation 5, sub-regulation (3) shall be substituted, namely:
  - "(3) A company incorporated in India having overseas offices, may acquire immovable property outside India for its business and for residential purposes of its staff, in accordance with the direction issued by the Reserve Bank of India from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

### Footnote:

- (i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.
- The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. 390 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide No. GSR 848(E) dated October 29, 2003.